न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / ई.सी.एक्ट / 05 / 2026

राज.सरकार जरिये श्रीमती विश्नोई, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

बनाम ......प्रार्थी

1–श्री भीमसिह पुत्र श्री रतन सिंह धाकड़ (डिगम्बर धाकड़ ऑयल मील)निवासी बिचपुरी पटटी वैर जिला भरतपुर।

2–श्री अमर सैनी पुत्र श्री मदन लाल सैनी निवासी वार्ड 15, कातवान मौहल्ला कस्बा नगर जिला डीग (वाहन मालिक RJ05CC2320)

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद – प्रार्थी

2–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1

3–अप्रार्थी संख्या–2 स्वंय

निर्णय दिनांक 15.05.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ बयाना रोड स्थित दिगम्बर धाकड़ ऑयल मिल निवासी बिचपुरी पट्टी वैर पहुँच कर कार्यवाही की गई। वक्त जांच मौके पर एक घरेलू गैस सिलैण्डर से वाहन में गैस की अवैध रिफलिंग होते हुए पाया गया मौके पर इलैक्टॉनिक मोटर मय पाईप से श्री अमर सैनी पुत्र श्री मदनलाल सैनी निवासी वार्ड नं. 15 कातवान मौहल्ला नगर जिला डीग के वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो सफेद रंग) में घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध एलपीजी रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। प्रतिष्ठान पर तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों (भराव क्षमता 14.2 किग्रा.) एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर एवं एक इलैक्ट्रॉनिक कॉटा मौके पर पाया गया। प्रतिष्ठान के अन्दर तीन घरेलू सिलेण्डर अवैध रूप से भंडारित पाये गये उनकी उपस्थिति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर पाये गये 14.2 किलोग्राम भार क्षमता के

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तीन आइओसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक इलैक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व इलैक्ट्रॉनिक कांटा को जब्त किया जाकर वैर इण्डियन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिये गये एवं वाहन संख्या आरजे05 सीसी 2320 को जब्त कर पुलिस थाना वैर की अभिरक्षा में दिया गया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0041 दिनांक 18.02.2026 दर्ज करायी गयी। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है, मौके पर जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो सफेद रंग) को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से एड. श्री पंकज कुमार का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल है तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया है जो शामिल मिसिल है।

उपस्थित योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एवं पैरोकार रसद की बहस सुनी गई। पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 18.02.2026 को प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिगम्बर धाकड़ ऑयल मिल निवासी बिचपुरी पट्टी वैर स्थित अप्रार्थी संख्या–1 भीमसिंह पुत्र श्री रतन सिह धाकड़ (डिगम्बर धाकड़ ऑयल मिल) निवासी बिचपुरी पट्टी वैर जिला भरतपुर के घर पर पहुंच कर जांच की गई, वक्त जांच मौके तीन घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2) किग्रा. भराव क्षमता, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर एवं एक इलैक्ट्रॉनिक कॉटा मौके पर पाया गया। प्रतिष्ठान के अन्दर तीन घरेलू सिलेण्डर अवैध रूप से भंडारित पाये गये उनकी उपस्थिति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर पाये गये 14.2 किलोग्राम भार क्षमता के तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक इलैक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व इलैक्ट्रॉनिक कांटा को जब्त किया जाकर सुपुर्दगी में वैर इण्डियन गैस सर्विस को दिये गये एवं वाहन संख्या आरजे05 सीसी 2320 को जब्त कर पुलिस थाना वैर की अभिरक्षा में दिया गया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0041 दिनांक 18.02.2026 दर्ज करायी गयी।

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है, मौके पर जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं एक

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो सफेद रंग) को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्यां 1 ने जबाब प्रस्तुत कर जबाब को ही बहस शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 के जबाब का अवलोकन किया गया, योग्य अभिभाषक ने अपने जबाब में अंकित किया है कि मौके स्थान पर मिले घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के उपभोग के सिलेण्डर थे। जिन्हें प्रार्थी अपने घर पहुँचाने वाला था जॉच में उन्हें अवैध मानते हुए जब्त कर लिया गया। प्रार्थी ने इस बाबत् दस्तावेज भी पेश किये जिस पर ध्यान न देकर सिलेण्डरों को जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी अपने जबाब को बहस शुमार किये जाने का निवेदन किया। जबाब का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जबाब में उत्तरदाता अप्रार्थी पर लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताते हुये झूँठा फसाया जाना अंकित करते हुये कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। अप्रार्थी ने जबाब में कथन किया है कि वह अपने वाहन से नगर से बयाना के लिये जा रहा था। वैर कस्वा में बयाना रोड स्थित डिगम्बर धाकड ऑयल मिल के पास पहुंचा तो गाडी में बैठे एक रिश्तेदार महिला उल्टी करने लगी, इसलिये अप्रार्थी ने अपनी गाडी साईड में डिगम्बर धाकड ऑयल मिल के पास खडी कर रखी थी। तभी प्रर्वतन स्टॉफ द्वारा पुलिस जाप्ता के साथ छापा मारा गया। जहॉ से घरेलू गैस सिलेण्डरों के साथ–साथ गलतफहमी के चलते अप्रार्थी के वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो सफेद रंग) को भी जप्त किया गया है। उत्तरदाता किसी भी घरेलू गैस सिलेण्डर से अपनी उक्त गाडी में गैस रिफलिंग नहीं कराई गई। उत्तरदाता द्वारा कोई भी गैरकानूनी कार्य नहीं किया गया। अप्रार्थी / उत्तरदाता का यह भी कहना है कि अप्राथ्री उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है। जिसके सभी दस्तावेज उत्तरदाता के पास उपलब्ध हैं। वाहन संख्या आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो सफेद रंग) को को सुपुर्दगी में दिया जावे न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी उसकी पालना करेगा।

जिला कलक्टर
भरतपुर

..........4

प्रा0पत्र / 05 / 2026
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम भीम सिंह वगै0

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण बाबत् कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। अप्रार्थी संख्या 01 श्री भीमसिंह का यह कहना कि जब्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर स्वयं के थे। जिन्हें प्रार्थी अपने घर पहुँचाने वाला था। स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग केवल घर की रसोई में ही किया जा सकता है, प्रतिष्ठान पर नहीं। जबकि 3 घरेलू गैस सिलेण्डर श्री भीमसिहं के प्रतिष्ठान से जब्त किये गये हैं। जहॉं पर प्रवर्तन स्टाफ रसद द्वारा की गई कार्यवाही जांच एवं फर्द मौका के अवलोकन से जाहिर है कि तैयार की गई फर्द मौका नजरी नक्शा में वक्त जांच मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर के साथ अप्रार्थी 01 भीम सिंह मौके से फरार होने पर भीमसिंह के पिता रतनसिंह के फर्दनामा पर हस्ताक्षर कराये गये हैं, अप्रार्थी भीमसिंह के पिता ने फर्द कार्यवाही पर अपनी कोई उज्रदारी दर्ज नहीं कराई है, तथा रतनसिंह द्वारा हस्ताक्षर करना यह स्पष्ट करता है कि वह (अप्रार्थी भीमसिंह के पिता) उक्त कार्यवाही से सहमत है। यहॉं यह भी उल्लेखनीय है कि मौके पर जप्त वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहन में गैस रिफलिंग (हस्तान्तरण) किया जाना स्वयं वाहन सुपुर्दगारान ने स्वीकार किया है तथा मौके पर वाहनों में गैस हस्तान्तरण में उपयोग में लिया जा रहा सामान यथा तीन घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, मिलना भी घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में गैस हस्तान्तरण करना साबित करता है। उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से वाहनों में गैस हस्तान्तरण के कृत्य में लिप्त है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः मौके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

वहीं प्रवर्तन स्टाफ रसद द्वारा की गई कार्यवाही जांच एवं फर्द मौका के अवलोकन एवं तैयार की गई फर्द मौका नजरी नक्शा में वक्त जांच मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर से यह भी जाहिर है कि जप्त वाहन आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो सफेद रंग) कार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से अपने वाहन में अवैध रुप से घरेलू गैस हस्तान्तरण में लिप्त पाये गये हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है, ऐसी स्थिति में जप्त वाहन आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो कार सफेद रंग) पर राशि रू. 2,000/–

..........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

(शब्देन दो हजार रुपये मात्र) का जुर्माना (Fine) मय शपथ पत्र लगाया जाना उचित पाते हैं। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः राजसात (confiscate) हो जावेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जब्त 03 गैस सिलेण्डर एवं एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित गैस कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि, कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही जप्त वाहन आरजे 05 सीसी 2320 (मारूति ऑल्टो कार सफेद रंग) पर राशि रू. 2,000 / –(शब्देन दो हजार रुपये मात्र) का जुर्माना (Fine) मय शपथ पत्र लगाया जाता है। यदि वाहन मालिक 30 दिवस के अन्दर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करादे तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर